सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 09/2014 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2014/00045

अनवान

1. श्री जयनारायण पिता कडुवा जी मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा।
2. श्री हांजाराम पिता कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा।
3. श्री शंकरलाल पिता कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा।
4. श्री दुर्जन उर्फ दौलतराम पिता कडुवा मीणा, निवासी बड़ला, तहसील खेरवाड़ा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा, निवासी रोबिया, तह0 खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2. आईसीआईसीआई बैंक, शाखा छाणी, तहसील खेरवाड़ा, जरिये बैंक मैनेजर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री अरूण व्यास, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षीया संख्या 1।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 31-08-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण बड़ला के निवासी होकर सगे भाई है, उनके खाते एवं कब्जे की मोजा खेरवाड़ा मे आराजी संख्या 459 रकबा 1.21हे, 453 रकबा 0.08हे. भूमि स्थित हैं। इसके अतिरिक्त मौजा बड़ला मे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी संख्या 35 रकबा 0.03हे., 28 रकबा 0.03हे., 29 रकबा 0.11हे., 30 रकबा 0.08हे., 55 रकबा 0.02हे., 32 रकबा 0.10हे., 34 रकबा 0.07हे., 43 रकबा 0.03हे., 44 रकबा 0.11हे., 110 रकबा 0.07हे., 33 रकबा 0.36हे., 99 रकबा 0.05हे. भूमि स्थित हैं। प्रार्थीगण की उक्त दोनो गांवो की भूमियां दोनो गांवों की सीमा पर पास पास हैं तथा उनके बीच लगी हुई एक तिकोने आकार की कृषि भूमि मौजा पलसिया, जिसके साबिक आराजी संख्या 847 एवं 844 तथा हाल आराजी संख्या 1306 व 1396/1306 स्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण ने अपने मकानात पिता के जमाने से लगभग 40 वर्ष पूर्व बना रखे थे एवं कालान्तर मे आवश्यकतानुसार निर्माण किये गये, जो पक्के निर्माण मय वाउण्ड्री के स्थित हैं। शेष भूमि पर उनकी बाड़ स्थित हो काश्त करते आ रहे हैं। इस भूमि पर बने मकानात मे वर्षो से वादीगण के बिजली के कनेक्शन हैं। विपक्षीया श्रीमती इन्द्रा देवी के पति पूर्व मे पंचायत समिति खेरवाड़ा के प्रधान एवं स्वयं विपक्षीया भी ग्राम पंचायत रोबिया की सरपंच रही हैं, जिन्होने राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाकर अपने

सरपंच रहते हुए उसी पद का दुरूपयोग कर, तत्कालीन अधिकारियों से मिलीभगत कर दिनांक 09.02.1983 को आराजी संख्या 1306 मे 1.5000हे. भूमि अपने नाम पर आवंटित करा गैर खातेदारी हक से भूमि अपने खाते मे अंकित करा ली। उक्त भूमि के आवंटन से पूर्व अथवा पश्चात् विपक्षीया श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा का कब्जा इस भूमि पर नहीं रहा, न ही प्रार्थीगण को बेदखल किया गया, न आवंटन शर्तो की पालना की गई। लगभग 18 वर्षो तक अपना कब्जा न होने एवं मिलीभगत से फर्जी कराये गये आवंटन के तथ्य की जानकारी होने के कारण ही विपक्षीया श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा ने भूमि को अपने खातेदारी अधिकार मे अंकित नहीं कराया एवं दिनांक 24.12.2001 को राजनैतिक परिस्थितियां अनुकूल होने पर अपने प्रभाव का उपयोग कर नियम विरूद्ध अपने खातेदारी अधिकारों मे अंकित करा नामान्तरकरण संख्या 106 अपने पक्ष मे खुलवा दिया। आवंटन हेतु आवंटी का संबंधित गांव का निवासी होना आवश्यक है, परन्तु विपक्षीया पलसिया गांव का निवासी न होकर वहां से 7 कि.मी. दूर अलग पंचायत सुन्दरा के रोबिया गांव की निवासी हैं। विपक्षीया श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा भूमिहीन की श्रेणी मे नहीं आती थी एवं न ही आज आती हैं। उक्त आवंटन मे नियम 4 का भी उल्लंघन हुआ है, चूंकि इस नियम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य मेटेलिक या ग्रेवल रोड़ से 50 गज की दूरी पर स्थित भूमि का आवंटन वर्जित हैं। आवंटन के नियम 5 के तहत न तो रिक्त भूमि की सूची बनायी गई, न उसे एड़वाईजरी कमेटी के समक्ष रखा एवं न ही नियम 7 के तहत कोई उद्घोषणा जारी की गई। विपक्षीया श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा द्वारा प्रस्तुत कथित आवेदन पूरा भरा हुआ नहीं हैं। विपक्षीया ने मात्र खानापूर्ति करा आवंटन कराया हैं। विपक्षीया द्वारा आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की गई हैं। राजस्व अभियान 2001 मे बिना मौका एवं गिरदावरी का अवलोकन किये 18 वर्ष बाद गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। आवंटन दिनांक 09.02.1983 एवं उसके अनुसरण मे दिनांक 24.12.2001 को दिये गये खातेदारी अधिकार अवैध व शून्य हो ये आदेश अपास्त योग्य हैं। तहसील खेरवाड़ा की वर्ष 2009 मे हुई ऑड़िट के दौरान भी आवंटन आदि के बारे मे समीक्षा रिपोर्ट होकर पृष्ठ संख्या 14 से 16 मे यह तथ्य स्वीकार किया है कि विपक्षीया का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, आज भी अन्य आदिवासियों का कब्जा है एवं बिना मौके की जांच किये व गिरदावरी देखे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। ऐसे आवंटन कों निरस्त करने हेतु माननीय जिला कलक्टर के समक्ष आवेदन किया जावें। इस ऑड़िट रिपोर्ट की पालना भी विपक्षीया द्वारा अपने प्रभाव के कारण नहीं होने दी हैं। उक्त ऑड़िट रिपोर्ट की पालना तहसीलदार खेरवाड़ा को करते हुए जिला कलक्टर को प्रकरण आवंटन निरस्ती हेतु प्रेषित करना चाहिये था, किन्तु उन्होने विपक्षीया के दवाब मे ऐसा न कर अपने वैधानिक कर्तव्यों की पालना नहीं की हैं। उक्त रिपोर्ट अनुसार भी आवंटन अवैध हैं, जिसकी पालना कोई भी नागरिक कराने का अधिकारी हैं। अतः विपक्षीया श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा के पक्ष मे दिनांक 09.02.1983 को जारी आवंटन पत्र, उसके अनुसरण मे खोला गया नामान्तरकरण, कालान्तर मे दिनांक 24.12.2001 को खातेदारी अधिकार की घोषणा एवं उसका नामान्तरकरण अवैध एवं शून्य

घोषित करा विपक्षीया का नाम रेकर्ड से हटा कर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीया श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित हो पेश किया हैं। मौजा पलसिया की सीमा पर आराजी संख्या 847 व 844 स्थित हो इसके हाल आराजी संख्या 1306 व 1396/1306 हैं। मौजा पलसिया की आराजी संख्या 1306 व 1396/1306, 35 वर्षो पूर्व बिलानाम सरकार थी। उक्त जमीन पर प्रार्थीगण का कोई मकान बना हुआ नहीं हैं एवं प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं हैं। विपक्षीया के पति पंचायत समिति के प्रधान नहीं रहे थे एवं न ही विपक्षीया पंचायत रोबिया की सरपंच थी। विपक्षीया को कथित भूमि का आवंटन 09.02.1983 को किया गया हैं एवं उसका नामान्तरकरण शुरू मे गैर खातेदारी हक से स्वीकृत किया गया था एवं बाद मे 10 वर्ष पूरे होने पर आवंटन की शर्तो की पूर्णतया पालना करने से कथित भूमि पर विपक्षीया श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता हैं। प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर इतने लंबे समय बाद आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। कथित भूमि का आवंटन नियमानुसार विपक्षीया को किया गया हैं। आवंटन के पश्चात् से आवंटी का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वक्त आवंटन भूमि रिक्त होने से ही विपक्षीया को उक्त भूमि का आवंटन हुआ है। कथित आवंटन के पूर्व पूरे कोरम से राय ली गई है तथा आराजी संख्या 1396/1306 का आवंटन श्री जयकृष्ण पिता दयाराम के हक मे किया गया है, परन्तु इस मामले मे श्री जयकृष्ण पिता दयाराम को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। आवंटन हेतु आवंटी का संबंधित गांव का निवासी होना आवश्यक नहीं हैं, वह एक ही तहसील का निवासी हो भूमिहीन की श्रेणी मे आती हैं। साबिक आराजी संख्या 844 से विपक्षीया का कोई संबंध नहीं हैं। ए.आई.आर. 1994 सुप्रीम कोर्ट मे तय किया गया है कि आवंटन के 20 वर्ष बाद ऐसा प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता हैं। विपक्षीया को किये गये उक्त आवंटन मे आवंटन नियम 4 का उल्लंघन नहीं हुआ है। विपक्षीया को आवंटित भूमि वक्त आवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग या मेटेलिक या ग्रेवल रोड़ से 50 गज की सीमा मे नहीं थी। वक्त आवंटन नियमानुसार रिक्त भूमि की सूची तैयार की गई थी एवं उसी अनुसार उद्घोषणा पत्र जारी कर आवंटन सलाहकार समिति की राय के आधार पर भूमि का विपक्षीया को आवटन किया गया था। विपक्षीया को आवंटन 1.5000हे. का किया गया है एवं इसमे आवंटन सलाहकार समिति की राय ली गई हैं। आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही विपक्षीया को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं एवं विपक्षीया को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए भी लम्बा समय हो चुका हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही कोई जवाब पेश होने से प्रकरण मे जवाब विपक्षी संख्या 2 बंद किया गया।

प्रकरण मे तहसीलदार खेरवाड़ा से विवादित आराजी पर किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक रीड़र/2017/1399 दिनांक 19.09.2017 से प्रेषित मौका पर्चा रिपोर्ट द्वारा न्यालय को अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम पलसिया जमाबंदी संवत् 2071–74 मे खाता संख्या 18 श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा के नाम आराजी संख्या 1306 रकबा 1.5000हे. खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड हैं। मौके पर मौतबिरान द्वारा कब्जे के संबंध मे स्पष्ट रूप से नहीं बताया हैं। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे अधिनस्थ न्यालय उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 5577/1983 मय आवंटन आदेश दिनांक 09.02.1983 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस प्रांरभ करते हुए प्रकरण मे अपने आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते विपक्षीया श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा के पक्ष मे किये गये आवंटन दिनांक 09.02.1983 एवं तदनुसार दिये गये खातेदारी अधिकार को अवैध एवं शून्य बताया एवं राजनीतिक प्रभाव के कारण किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करने की मांग की। जिसका प्रमुख आधार उनके द्वारा विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, प्रार्थीगण के नाम बिजली का कनेक्शन होना, विपक्षीया का वर्णित आराजीयात पर कब्जा न होना, विपक्षीया का भूमिहीन न होना, विपक्षीया के पति का प्रधान होना, स्वयं का सरपंच होना व राजनीति मे होना, गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना, नियम–4, 5, 7 व 10 का उल्लंघन होना, ऑड़िट आक्षेप होना आदि बताया है। विपक्षीया अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। विपक्षीया अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विपक्षीया को नियमानुसार पात्रता रखने पर ही विधिवत आवंटन हुआ है एवं आवंटन नियमों की पालना करने से ही उसे नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य गलत हैं। विपक्षीया को दिनांक 09.02.1983 को वर्णित आराजीयात का आवंटन हुआ है। वक्त आवंटन दिनांक 09.02.1983 को लाभ के पद पर होने का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया हैं। तत्समय विपक्षीया भूमिहीन होने से कृषि भूमि आवंटन की पात्रता रखती था एवं तत्समय सीमा से अधिक कृषि भूमि विपक्षीया के पास उपलब्ध होने के संबंध मे कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से इसे खारिज किया जावें। विपक्षीया अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

आर.बी.जे. 1995 (2) पृष्ठ संख्या 780–781
आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ संख्या 201
आर.बी.जे. 2006 (13) पृष्ठ संख्या 11
आर.बी.जे. 2006 (13) पृष्ठ संख्या 217
ए.आई.आर. 1994 एस.सी. पृष्ठ संख्या 1128
आर.बी.जे. 2008 पृष्ठ संख्या 435

आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ संख्या 383
आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ संख्या 270
आर.बी.जे. 2005 (12) पृष्ठ संख्या 113
आर.बी.जे. 2010 (17) पृष्ठ संख्या 157
आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ संख्या 258
आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ संख्या 112
आर.बी.जे. 2011 (18) पृष्ठ संख्या 418
आर.आर.टी. 2011 (2) पृष्ठ संख्या 1205
आर.आर.टी. 2012 (1) पृष्ठ संख्या 653

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षीया के जवाब, आवंटन पत्रावली, मौका रिपोर्ट, ऑड़िट रिपोर्ट, न्यायिक दृष्टान्तों एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण मे विवाद मौजा पलसिया, तहसील खेरवाड़ा की विपक्षीया श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा को दिनांक 09.02.1983 को आवंटित साबिक आराजी संख्या 847, जिसके हाल आराजी संख्या 1306 रकबा 1.5000हे. का है, जिस पर उभय पक्ष द्वारा अपना अपना कब्जा बताया जा रहा हैं। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीया श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा को उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 09.02.1983 को किया गया हैं। प्रकरण मे विचारणीय बिंदु यह है कि–

(अ) आवंटन पत्रावली के अवलोकन पर यह तथ्य ध्यान मे आता है कि विपक्षीया द्वारा प्रस्तुत किये गये आवंटन हेतु आवेदन मे उसके द्वारा स्वयं को अन्य गांव रोबिया का निवासी होना दर्शाया है। इसके अतिरिक्त आवंटन पत्रावली मे उपलब्ध आवेदन, जिस पर दिनांक अंकित नहीं हैं, मे आवेदन उपरान्त पटवारी की जांच रिपोर्ट मे पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक के बिना मोहर के हस्ताक्षर मौजुद हो प्रतिहस्ताक्षर मे तहसीलदार खेरवाड़ा के हस्ताक्षर का कॉलम रिक्त हैं। आवंटन कमेटी के कोरम पर सदस्यों के नाम, हस्ताक्षर एवं पदनाम आदि भी स्पष्ट नहीं हैं एवं इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता की कोरम मे कौन सदस्य थे एवं किसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। कोरम के किसी भी सदस्य की मोहर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति मे विपक्षीया को आवंटन के संबंध मे की गई समस्त कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या ही संदेह की परिधी मे आती हैं।

(ब) निरीक्षक राजस्व लेखा, आंतरिक लेखा जांच दल (आय) की निरीक्षण रिपोर्ट क्रमांक नि.रा.ले/प्रति/2009/134 दिनांक 24.11.2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निरीक्षक राजस्व लेखा आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि वर्तमान मे आराजी संख्या 1306 रकबा 1.5000हे. भूमि विपक्षीया श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा के नाम खातेदारी हक से दर्ज की जा चुकी हैं। बड़े रकबे का आवंटन होने तथा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लगभग 250 मीटर की दूरी पर तथा आबादी भूमि के पास स्थित होने से आवंटन एवं खातेदारी गलत दिये जाने की संभावना बनने से मामले का परीक्षण किया

गया। साबिक खसरा संख्या 847 रकबा 9 बीघा मे से 8 बीघा भूमि विपक्षीया श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा, निवासी रोबिया को उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर के आदेश दिनांक 09.02.1983 द्वारा आवंटित की गई हैं। आवंटित भूमि ग्राम पलसिया की है, परन्तु आवंटी व्यक्ति गांव रोबिया का मूल निवासी है। अतः मामले मे आवंटन के लिय निर्धारित प्राथमिकता का उल्लंघन कर आवंटन किया गया हैं। आवंटन आदेश पर गैर खातेदारी से दर्ज किये गये साबिक खसरा संख्या 915/847 एवं तरमीमी नक्शा दर्ज किया हुआ है। इसका मिलान सेटलमेंट के नक्शे से किया जाने पर आवंटित भूमि की सीमाओं मे बड़ी भिन्नता सपष्टतः प्रकट होती हैं। आवेदन पत्र की जांच करने पर पाया गया कि पटवारी की जांच रिपोर्ट मे आवेदक इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा, निवासी रोबिया के पास आवंटन से पूर्व कितनी भूमि स्थित है, इसकी सूचना शून्य दी हैं तथा उसके पति के नाम या पति के नोशनल शेयर्स से कितनी भूमि आती है, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया हैं। जांच रिपोर्ट मे यह भी छुपाया गया है कि आवंटन की जाने वाली भूमि ग्राम बड़ला एवं खेरवाड़ा छावनी से लगी हुई है तथा आवंटन के समय इस भूमि पर जिन–जिन व्यक्तियों का कब्जा काश्त थी, उसका उल्लेख भी करना चाहिये था, परन्तु यह तथ्य भी छुपाया गया है। इस प्रकार आवंटन फ्रॉड़ तरीके से कराया गया हैं। चूंकि आवंटन के समय आवंटी सरपंच के पद पर पदाधिकारी होने का तथ्य विदित हुआ है तथा ग्राम पलसिया की भूमि ग्राम रोबिया के व्यक्ति को आवंटन करना संभव नहीं था। इस प्रकार आवंटन गलत हुआ हैं। उक्त आवंटन के मामले मे लंबी अवधि तक यह भूमि गैर खातेदारी अभिलेख मे दर्ज रही, इसका मूल कारण आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1306 पर आवंटी द्वारा कभी कब्जा काश्त नहीं किया गया एवं वर्तमान मे भी इस भूमि पर अन्य अन्य ग्राम पलसिया के आदिवासी व्यक्तियों का ही कब्जा काश्त हैं। यह खातेदारी राजस्व अभियान अवधि दिसम्बर 2001 के दौरान बिना मौका जांच किये, गत वर्षो की खसरा गिरदावरी का अवलोकन किये, सारे तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए नियमो के प्रतिकूल खातेदारी के आदेश जारी किये हुए है। अतः मामले मे खातेदारी अधिकार देने के विपरीत आवंटन खारिज हेतु मामला जिला कलक्टर को भेजा जाना अपेक्षित था। इन नियमो के नियम 20 मे प्रावधान है कि फ्रॉड़ तरीके से खातेदारी दे दिये जाने की जानकारी जिला कलक्टर के ध्यान मे लाये जाने पर खातेदारी निरस्त की जा सकती हैं। मौके की स्थिति के अनुसार उक्त भूमि बहुमूल्य भूमि हैं एवं अनुमोदित डी.एल.सी. रेट अनुसार इस भूमि की कीमत 214500रू. बनती हैं। इस प्रकार निरीक्षक राजस्व लेखा की रिपोर्ट अनुसार भी उक्त आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित हो फ्रॉड़ एवं मिसप्रजेन्टेशन से विपक्षीया को किया जाना एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने मे अनियमितता दृष्टिगत होती हैं।

(स) प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वक्त आवंटन विपक्षीया का ग्राम पंचायत रोबिया की सरपंच होने का उल्लेख किया है एवं अवगत कराया है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 मे यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''जहां सलाहकार समिति के किसी सदस्य का किसी आवेदक मे उसके संबंधी होने के कारण या अन्यथा कोई हित हो, वहां ऐसा सदस्य समिति की बैठक मे भाग नहीं लेगा।'' इसके विपरित विपक्षीया एवं इनके

अधिवक्ता इस तथ्य के खण्ड़न हेतु कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। ऐसी स्थिति प्रार्थीगण द्वारा दिये गये तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता हैं।

(द) तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक रीड़र/2017/1399 दिनांक 19.09.2017 मे जिसमे मौका रिपोर्ट मे उपस्थिति पर स्वयं विपक्षीया श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा के हस्ताक्षर मौजुद है, मे भी वर्णित आराजीयात पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न गिरदावरी रिपोर्ट मे भी कब्जा काश्त नहीं पाया गया हैं, जो विपक्षीया के कब्जा न होने व काश्त न किये जाने का प्रमाण हैं।

(य) प्रकरण मे विपक्षीया अधिवक्ता द्वारा विपक्षीया को किया गया आवंटन पुराना होना व खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाना अवगत कराया है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही को अनुचित एवं विधि विरूद्ध बताया है तथा इस बाबत् उपरोक्त वर्णितानुसार न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि मिथ्या, मिसप्रजेन्टेशन एवं अनियमितता तरीके से किये गये आवंटन एवं तदनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही को कभी भी रद्द किया जा सकता हैं।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर मौजा पलसिया, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 847 पर विपक्षीया के पक्ष मे उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 09.02.1983 मिथ्या, मिसप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड़ तरीके से किया जाना एवं गलत तरीके से दिनांक 24.12.2001 को खातेदारी अधिकार दिये जाना पाया जाने से उक्त आवंटन को रद्द कर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाकर मौजा पलसिया, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 847, जिसके हाल आराजी संख्या 1306 रकबा 1.5000हे. है, पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विपक्षीया श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि नवीनचंद्र मीणा के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 09.02.1983 को खारिज किया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर